

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. डी-15-5-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति जैसीनगर जिला सागर के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती हैः—

स्थान

ग्राम पंचायत बिलहरा (बम्होरी) तहसील सागर जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	15	4.660
	योग . .	4.660

जिसकी सीमाएं

- उत्तर में—सागर रोड.
- दक्षिण में—बिलहरा रोड.
- पूर्व में—मडखेड़ा.
- पश्चिम में—महुआखेड़ा रोड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. डी-15-5-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव,

Bhopal, the 15th January 2016

No. D-15-5-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Jasinagar District Sagar has been established by this department's Notification even dated 12th December 2011 shall be sub market yard namely:—

PLACE

An area of 4.660 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Bilahra (Bamhori) Gram Panchayt in Tehsil Sagar of District Sagar:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectar)
(1)	(2)	(3)
1	15	4.660
Total . .		4.660

BOUNDED BY

On the North by—Sagar Road.

On the South by—Bilahra Road.

On the East by—Madkheda.

On the West by—Mahuakheda Road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. डी-15-5-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंब्धक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण जैसीनगर जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत बिलहरा (बम्होरी) तहसील सागर जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
- (1) बिलहरा, (2) सिमरिया, (3) खेजरामाफी, (4) पनारी, (5) जुङारपुर, (6) पिपरिया, (7) सूरजपुरा, (8) केवलारी, (9) खुरई थावरी, (10) टेकापार, (11) मड़खेड़ा, (12) सर्पिना, (13) मढ़िया, (14) वेरखेड़ी, (15) महुआखेड़ा, (16) बम्होरी, (17) मूडरा, (18) अगरा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. डी-15-5-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्धक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव।

Bhopal, the 15th January 2016

No. D-15-5-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 15th January 2016 the following area of Jasinagar of distircet Sagar shall be Sub market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bilahra (Bamhori) in Tehsil Sagar of District Sagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely:—
 - (1) Bilahra, (2) Simariya, (3) Khejrarmafi, (4) Panari, (5) Jujharpur, (6) Pipariya, (7) Surajpura, (8) Kevlari, (9) Khurai Thavri, (10) Tekapar, (11) Madkheda (12) Seengana, (13) Madiya, (14) Verkhedi, (15) Mahuakheda, (16) Bamhori, (17) Mudra, (18) Agra.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.